न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील सं0 29/2022

अडिसाल पुत्र मुखराम जाति गुर्जर निवासी जैयपुरा ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा जिला दौसा
...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार दौसा निर्णय दिनांक 8.9.2022 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम अडिसाल, प्रकरण संख्या 21/2022

उपस्थित : 1. श्री रामखिलाडी योगी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय

दिनांक 30.4.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.9.2022 जो कि प्रकरण सं0 21/2022 उनवानी सरकार बनाम अडिसाल से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि भूमि खसरा नंबर 508/149 रकबा 0.01 है. किस्म चरागाह वाके रामा मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। तहसीलदार दौसा ने अपीलांट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने एवं लगान दर 0.25 का 50 गुणा शास्ति 13/–रू0 आरोपित की गई है। उक्त भूमि से थडी को कटजे राज लिया जाकर मौके से बेदखल किया जा चुका है। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार की कोई थडी नहीं रखी है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूंठी मौका रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना यह निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना निर्णय पारित किया गया है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत निर्णय पारित करते समय यह देखा जाना आवश्यक है कि व्यक्ति समट्रेस पास है या नहीं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी बातों का ध्यान नहीं रख कर निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 8.9.2022 जो कि मु0नं0 21/2022 उनवानी सरकार बनाम अडिसाल को निरस्त फरमाया जावे।
4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया [illegible] भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू [illegible] जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की [illegible] पर उपलब्ध रिपोर्ट [illegible] 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–[illegible]56 की धारा 91 के [illegible] नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्रमी ने ग्राम मित्रपुरा के राजकीय चरागाह भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

508/149 रकबा 0.01है. पर थडी रखकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

5. अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश 8.9.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि उनके द्वारा खसरा नंबर 508/149 रकबा 0.01 है. किस्म चरागाह ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा में अनाधिकृत रूप से अतिचार कर कर रखा है जिसे बेदखल किया गया।
7. प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसरे का स्परूप चरागाह जैसा नहीं है एवं प्रार्थी का उक्त भूमि पर थडी लगाकर कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रार्थी को बिना सुने यह निर्णय पारित किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके की वास्तविक स्थिति के अपना आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा आयुक्त, नगर परिषद दौसा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 3.2.202 प्रस्तुत किया गया है जो कि सीमा देवी पत्नि अडीसाल गुर्जर के नाम से जारी किया गया है एवं जिला जयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का नियुक्ति पत्र दिनांक 10.12.2021 प्रस्तु किया गया हैं
8. हम प्रार्थी के इस कथन से सहमत नहीं है कि उक्त खसरा नंबर का स्वरूप चरागाह जैसा नहीं है। अतः यदि अतिचार किया जाता है तो वह क्षमायोग्य है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने कई आदेशों में चरगाह भूमि जो कि एक सामुदायिक धरोहर है को अतिक्रमण मुक्त कराने के अनेकों आदेश पारित किये गये है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद दौसा का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ दौसा के नियुक्ति पत्र में कहीं भी प्रार्थी को खसरा नंबर 205/149 पर अपने दुग्ध की थडी लगाने की अनुमति के संबंध में उल्लेख नहीं किया है एवं यदि कर भी दिया जाता तो वह राज0 काश्तकारी अधिनियम एवं भू राजस्व अधिनियम के विपरीत होने के कारण शून्य होता। प्रार्थी का यह कथन कि उन्हें बिना सुनवाई के आदेश पारित किया गया है उससे हम असहमत है। चूंकि तहसीलदार की आदेशिका दिनांक 8.9.2022 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि गैर सायल उपस्थित रहे एवं आदेशिका पर उनके हस्ताक्षर भी कराये गये है। प्रार्थी का यह कथन कि पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है एवं मौके की वास्तविक स्थिति का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया गया है तो इस संबंध में प्रार्थी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश दौसा के आदेश दिनांक 15.2.2024 के आदेश प्रस्तुत किये गये है जिसमें श्रीमान सिविल न्यायाधीश द्वारा यह आदेशित किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को आवंटित डेयरी बूथ जिसकी साईज 6 गुणा 6 है। जो कि मित्रपुरा फिलिंग स्टेशन से आगे है, आगरा रोड दिगंगर कालेज की बांउड्री के पास मेडिकल कॉलेज के आगे पर बिना विधिक प्रकिया अपनाये किसी प्रकार से तोड फोडरने, डेयरी बूथ हटाने एवं उसका स्थान परविर्तन करने पर अस्थाई रूप से प्रतिबंधित रहेंगे। चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को बेदखल करने के लिए धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1955 में विधिक प्रकिया बताई गई है जिसमें अप्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है । इस प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा विधिक प्रकिया अपनाकर चरागाह भूमि पर अतिचारी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित किये गये है जो कि श्रीमान न्यायाधीश सिविल न्यायालय के आदेश के अनुरूप है एवं जैसाकि पूर्व में अंकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेको प्रकरण में चरगाह भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु विभिन्न निर्णयों के द्वारा आदेश पारित किये जा चुके है।
10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। तहसीलदार दौसा द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:20 IST
Reason: SelfAttested

पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 8.9.2022 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:32:20 IST
Reason: SelfAttested